अनुदान संख्या 65 – निर्वाचन आयोग
GRANT No. 65 -ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	242,16,00			
			252,00,00	251,43,33	-56,67
पूरक	Supplementary	9,84,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				54,48
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		7,00,00	2,50,00	-4,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,50,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	24216.00			
पू.	S.	984.00	25145.52	25143.33	-2.19
पु.	R.	-54.48			

(I) "निवार्चन आयोग – मतदाता जागरूकता" – ₹5880.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2021 में ₹400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6280.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹599.84 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 महामारी के कारण मतदाता जागरूकता के विज्ञापन कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) "प्रशिक्षण – चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाना" – ₹938.38 लाख की बचत (₹2506.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

2. प्रावधान बढ़ाने के लिए उपर्युक्त बचतों (₹1449.47 लाख) का आंशिक तौर पर उपयोग किया गया था जैसा कि दिसम्बर, 2021 में "निर्वाचन आयोग – स्थापना" के अंतर्गत ₹984.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1447.94 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹450.00 लाख की बचत हुई और यह स्वीकृत प्रावधान का 64 प्रतिशत थी।

(I) Under "Election Commission – Voters Awareness" – the original provision of ₹5880.00 lakhs was augmented to ₹6280.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹400.00 lakhs in December, 2021. However, there was a saving of ₹599.84 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards advertising work of Voters Awareness owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under "Training – Imparting training for Election" - saving of ₹938.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2506.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes owing to COVID-19 pandemic.

2. The above savings were partly (₹1449.47) utilized for augmenting the provision as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹984.00 lakhs in December, 2021 under "Election Commission – Establishment". Actual excess, however, was ₹1447.94 lakhs.

3. In the capital section of the grant, saving of ₹450.00 lakhs occurred under one head and constituting 64 percent of the sanctioned provision.